

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

श्रीमति रेखा चन्द्रा, पति-स्व0 आलोक चन्द्र, साकिन-रामनगरमठ, थाना-गंगौर (ओ0पी0), जिला-खगड़िया के द्वारा अपने पति के मृत्यु की सूचना देते हुए उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0- 27/2008 (खगड़िया थाना) की अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुरोध किया गया है। सूचित किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान गंगौर थाना में बन्दूक सं0-82844 एवं दो कारतूस जमा है। आवेदन के साथ उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0-IV-22/2018 दिनांक 09.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में स्व0 आलोक चन्द्र पे0-स्व0 ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, साकिन-रामनगरमठ, थाना-गंगौर (ओ0पी0), जिला-खगड़िया के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 27/2008 (खगड़िया थाना) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित दोनाली बंदुक सं0-82844 जिन्दा कारतूस किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा शस्त्र जमा करने के पश्चात शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

801-

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-22/2018... 641 / जी0, दिनांक 14/8/19

- प्रतिलिपि : श्रीमति रेखा चन्द्रा, पति-स्व0 आलोक चन्द्र, साकिन-रामनगरमठ, थाना-गंगौर (ओ0पी0), जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।